

अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

15 नवंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बंदि

टीकाराम जूली ने बताया कि विभाग द्वारा ज़िला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, वज्ज्ञान एवं वाणज्य संकाय हेतु) राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र, जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा करिए पर लेकर (पेईंग गेस्ट के रूप में) अध्ययन करते हैं, उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बजिली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशिके रूप में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत 2000 रुपए प्रतमाह प्रतविरष (अधिकतम 10 माह हेतु) दये जाएंगे।

- उन्होंने बताया कि योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमति रूप से अध्ययनरत SC, ST, OBC, MBC, EWS और Minority के छात्रों को देय होगा।
- इस योजना के तहत अनुसूचित जातिके 1500, अनुसूचित जनजातिके 1500, अन्य पछिड़ा वर्ग के 750, अतिपछिड़ा वर्ग के 750, आर्थिक पछिड़ा वर्ग के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 वदियार्थियों को लाभ दया जाएगा।
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने बताया कि योजना में छात्रों के ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य दशा-नरिदेश का वसितृत वविरण विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।
- उन्होंने बताया कि छात्र वर्तमान में जसि राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जाँच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी (वभागीय ज़िलाधिकारी) को भजिवाया जाएगा तथा स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शकषण संस्थाओं से प्राप्त परपूरण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकर्त्ता कर नरिधारति राशिके भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी कया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभान्वति कये जाने हेतु ज़लिवार, वर्गवार एवं संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकर्त्ता संबधति उप नदिशक/ सहायक नदिशक (ज़लाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जाएगी। अभ्यर्थी को मासकि/ प्रतमाह भुगतान कया जाएगा।